सीएम के सक्रिय प्रयास व प्रभावी समन्वयन से केन्द्र से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

मार्च माह में ही केन्द्र ने राज्य को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि की जारी

जयपुर, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल, कृषि व आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

मार्च माह में ही राज्य को केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि से केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रही है। केन्द्र सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम फोर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (सास्की) योजना की शुरूआत की थी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकरियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल सम्बंधी दिशा निर्देश दिए।

■ पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक राशि हुई प्राप्त

इस योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23 तक) में यह राशि मात्र 7 हजार 290 करोड़ रुपये ही थी।

एसएनए-स्पर्श पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राशि 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी की गई है। इसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिश एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15 हजार 666 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष गत पांच वर्षों में सर्वाधिक 2 हजार 693 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

जबकि पूर्ववर्ती सरकार के अन्तिम तीन वर्षों में इस में 833 करोड रूपये ही प्राप्त हुये थे। उल्लेखनीय है कि एसएनए-स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहा है। जिसके फलस्वरूप केन्द्र ने प्रदेश को सास्की योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। समग्र शिक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे।

पूर्व उपमहापौर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जयपुर(निसं)। प्रदेश संयोजक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ एवं पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स (यूडी टैक्स) में पेनल्टी एवं ब्याज छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

पुनीत कर्णावट ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स शहरी निकायों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे नगरीय विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलती है। राज्य सरकार द्वारा इस कर के बकाया भुगतान पर पेनल्टी एवं ब्याज में दी ग छूट, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी थी, एक सराहनीय कदम रहा है। इससे करदाताओं को राहत मिलने के साथ-साथ राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि मार्च माह में वेतनभोगी, व्यापारी एवं उद्यमियों पर विभिन्न करों एवं वित्तीय दायित्वों का अधिक दबाव रहता है, जिसके कारण अनेक करदाता समय पर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स का भुगतान नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007 से 2026 तक की अवधि के लिए एकमुश्त देय राशि अधिक होने से भी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हुई है।

सार-समाचार

डॉ. रश्मि शर्मा ने समग्र शिक्षा राजस्थान के रूप में कार्यभार संभाला

जयपुर(निसं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी आरएएस डॉ. रश्मि शर्मा ने 2 अप्रैल को राजस्थान शिक्षा विभाग में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा राजस्थान के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उसी दिन विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों एवं अन्य प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त ने विभिन्न कॉम्पोनेंट्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिए तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फोकस राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर रहेगा। डॉ. शर्मा के पास प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने पूर्व में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया है। बैठक में वित्त सलाहकार अनुपमा शर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम श्रीमती सीमा शर्मा, द्वितीय श्री अशोक कुमार मीणा, सहित विभिन्न उपायुक्त, उपनिदेशक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पंचायतों और निकायों के चुनाव तय समय में नहीं कराने पर अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढा की अवमानना याचिका परदिए। इसके साथ ही अदालत ने पंचायत चुनाव के मामले में गिरिराज सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका को इस याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की तय समय सीमा को आगे बढाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सीधे तौर पर अदालती आदेश की अवमानना है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को निर्देश दिया था कि प्रदेश की ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए। इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी माह में जारी किए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है। इससे साफ है कि किसी भी सूरत में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। वहीं गिरिराज सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि अदालत ने निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे। ऐसे में अवमानना कर्ता अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने को लेकर दंडित किया जाए।

सरस ब्राण्ड से मिलते-जुलते नाम से घी के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक

जयपुर, (निसं)। वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 2 जयपुर महानगर द्वितीय ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने आरसीडीएफ के प्रतिष्ठित ब्राण्ड सरस के नाम से मिलते-जुलते ब्राण्ड श् श्री पार्श्व सारस श् ब्राण्ड के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरस ब्राण्ड को सुप्रसिद्ध ट्रेड मार्क मानते हुऐ इसके नाम का दुरुपयोग करने पर पाली की फर्म मैसर्स रत्नदीप मिल्क प्रोडक्टस को क्षतिपूर्ति के रुप में आरसीडीएफ को 50 हजार रुपये के भुगतान का आदेश भी पारित किया है। न्यायालय ने फर्म को श्री र्पाश्व सारस के उत्पादन से संबंधित सभी सामान को नष्ट करने के आदेश भी दिये हैं। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की ओर से अधिवक्ता यशवर्धन सिंह ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरसीडीएफ का सरस ब्राण्ड एक प्रतिष्ठित ब्राण्ड है और आम उपभोक्ता इसकी गुणवत्ता पर पूरा भरोसा करते हैं। प्रतिवादी फर्म ने समान और भ्रामक रुप से मिलते जुलते ट्रेड मार्क श्री पार्श्व सारस ब्राण्ड के नाम से घी का उत्पादन कर आरसीडीएफ के पंजीकृत ट्रेड मार्क का उल्लंघन किया। आरसीडीएफ द्वारा माननीय न्यायालय में सरस से मिलते-जुलते नाम से घी के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाने और प्रतिवादी को दंडित किये जाने के लिये वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस निर्णय से प्रतिष्ठित सरस ब्राण्ड के नाम से मिलते-जुलते ब्राण्डस से आम उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त सरस ब्राण्ड का घी एवं उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे।

युवक की हत्या कर प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर शव खाली प्लॉट में फेंका

जयपुर (निसं)। करधनी थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर उसके शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर खाली प्लॉट में ले जाकर फैंक दिया और शिनाख्त नहीं होने के कारण केमिकल डालकर आग लगा कर जला दिया। लेकिन शव पूरा नहीं जल पाया और आग बुझ गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने अद्धर्जला युवक का शव पड़ा देख मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड टीम की मदद से घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर शव को कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया। जहां से पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी। एडि.डीसीपी (वेस्ट) राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे पुलिस कंट्रोल रुम को स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉट में अद्धर्जला युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निवारू पुलिया से कुछ ही दूरी पर एक खाली प्लॉट से युवक का अद्धर्जला शव बरामद किया। पुलिस ने घटना स्थल से एफएसएल टीम व डॉग स्क्वायड टीम की सहायता से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। प्रारम्भिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवक की किसी दूसरी जगह हत्या की गई, जिसके बाद प्लास्टिक के एक बड़े कट्टे में शव को बांधकर देर रात यहां फेंककर ठिकाने लगाया गया। मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसके मुंह और शरीर पर किसी ज्वलनशील केमिकल को डालकर आग लगाई गई है।

न्यू टैक्स वसूली में सरकार की सख्ती, जनता बेहाल राहत की अवधि बढ़ाने की मांग तेज

जयपुर (निसं)। राजस्थान में नगरीय विकास कर(टैक्स) को लेकर सरकार की सख्त नीति अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। एक तरफ सरकार राजस्व बढ़ाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर हजारों करदाता पेनल्टी और ब्याज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। नगर निगम जयपुर में नेता प्रतिपक्ष रहे गिरिराज खंडेलवाल ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को सीधे तौर पर घेरते हुए कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पेनल्टी और ब्याज में छूट देकर राहत का दिखावा जरूर किया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस अवधि में अधिकांश लोग भुगतान ही नहीं कर पाए।

विवाह स्थलों की पार्किंग में राहत देने की मांग की

जयपुर विवाह स्थल समिति, जयपुर के पदाधिकारीओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

जयपुर,(निसं)। आज सिटी पैलेस में जयपुर विवाह स्थल समिति, जयपुर के पदाधिकारीओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन पत्र देकर नगर निगम द्वारा विवाह स्थलों पर पार्किंग अनिवार्य करने के नियम में राहत देने का अनुरोध किया।

समिति ने पत्र में बताया कि विवाह स्थल समिति जयपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से कार्यरत है और यहाँ आयोजित विवाह समारोहों में कई विवाह स्थलों में पार्किंग की कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के नए नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत पार्किंग विवाह स्थलों में अनिवार्य कर दिया गया है जबकि छोटे विवाह स्थलों पर यह सुविधा प्रदान नहीं है। छोटे विवाह स्थलों में मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोग अपने शादी समारोह आदि आयोजन कम खर्चे में कर लेते हैं अब इन गार्डनो के बंद होने से मध्यम एवं गरीब वर्ग पर आर्थिक भार पड़ेगा।

समिति ने यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए सैकड़ों विवाह स्थलों का नवीनीकरण किया जाना है लेकिन पार्किंग नियमों के कारण विवाह स्थलों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है।

अतिरिक्त सचिव चालीस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर(निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सीकर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के अतिरिक्त चार्ज सचिव एवं सीकर मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को चालीस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि आरोपी रणधीर सिंह परिवादी के परिजनों के नाम चार दुकानों के लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी चौकी सीकर ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें आरोपी द्वारा अस्सी हजार रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में सीकर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुभाष मील एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवादी से चालीस हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

संदेश नायक ने संभाला जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार

सुशासन, पारदर्शिता और जनकेन्द्रित प्रशासन को दी प्राथमिकता

जयपुर, (निसं)। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलक्टर का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट में एक गरिमामय वातावरण में पदभार ग्रहण की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। पदभार संभालने के पश्चात संदेश नायक ने कहा कि जयपुर जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए गर्व के साथ-साथ एक बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन की समर्पित टीम के सहयोग से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि उसे धरातल पर उतारना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य

संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया।

आमजन को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।इसी क्रम में जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं परिणामोन्मुखी बनाया जाएगा, ताकि प्रत्येक परिवेदना का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन के साथ संवाद को प्राथमिकता दें और संवेदनशीलता के साथ

■ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित जनसुनवाई पर रहेगा फोकस

उनकी समस्याओं का समाधान करें। नायक ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तकनीकी नवाचारों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता में वृद्धि की जाएगी। ई-फाइल प्रणाली सहित विभिन्न आईटी आधारित व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया में गति आएगी और अनावश्यक विलंब को रोका जा सकेगा।उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट्स के माध्यम से योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके।

आमजन के आशियाने का सपना साकार करना रहेगी प्राथमिकता : आवासन आयुक्त

जयपुर, (निसं)। आमजन के आशियाने के सपने को साकार करना आवासन मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कहना है आवासन आयुक्त श्री अरविंद पोसवाल का।

■ आवास भवन का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया निरीक्षण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद पोसवाल ने को आवासन मंडल के मुख्यालय आवास भवन में आयुक्त का कार्यभार संभाला। उन्होंने मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक लेकर चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी ली। पोसवाल ने मंडल टीम द्वारा पिछले वर्षों में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए बधाई दी और इस गति को

अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक लेकर ली विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी।

निरंतर बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आवासन मंडल ने गुणवत्तायुक्त और समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आमजन का विश्वास पाया है।सभी अधकारिगण इस विश्वास को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ काम करते हुए ही हम आवासन मंडल की हमारा प्रयास-सबको आवास थीम को मजबूत करते हुए आमजन को सुविधा संपन्न और गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध करा सकते हैं।

जयपुर में अवैध एलपीजी रिफिलिंग का भंडाफोड़

जयपुर(निसं)। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने शहर में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण भी बरामद किए गए।पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश के निर्देशन के सुपरविजन में सीएसटी टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में रसद विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की।पुलिस उपायुक्त (अपराध) के अनुसार श्रीराम कच्ची बस्ती रोड नंबर 17 पर अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी।

'पेपर लीक या नकल की सूचना देने पर मिलेगा एक लाख का इनाम'

जयपुर(निसं)। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आगामी 05 और 06 अप्रैल 2026 को राज्य भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले तत्वों की सटीक जानकारी देता है, तो उसे एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

एसओजी ने इन आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 भी जारी किया है, जिस पर मैसेज के जरिए सूचना साझा की जा सकती है । पुलिस को अंदेशा है कि

■ पुलिस को अंदेशा है कि कुछ आपराधिक तत्व परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते है

कुछ आपराधिक तत्व परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रश्न पत्र लीक करने के प्रयास,ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए नकल।,असली अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट (मुन्ना भाई) बैठाना और अन्य किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, जयपुर का होगा। इस आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

जयपुर पासपोर्ट ऑफिस को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी

जयपुर(निसं)। जयपुर स्थित झालाना के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार को पासपोर्ट ऑफिस की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए धमकी भरे मेल में बम विस्फोट की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई।

एसीपी (गांधीनगर) नारायण बाजिया ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन कार्यालय परिसर को खाली करवाया गया। इसके बाद एटीएस के बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

हालांकि, जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। वहीं धमकी के बाद पासपोर्ट कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है। ई-मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेल किस लोकेशन और डिवाइस से भेजा गया।

गौरतलब है कि पिछले 23 दिनों में यह तीसरा मौका है। जब जयपुर पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर के अलावा अलवर और अजमेर के पासपोर्ट सेवा केंद्रों को भी इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं।

तलाशी अभियान के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। जब पासपोर्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी टिफिन खोलकर भोजन करने लगे। जिन्हें सुरक्षा में लगे जवानों ने तत्काल रोका और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जयपुर में पिछले कुछ समय से सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है।

विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान गांव व शहरों के सुनियोजित विकास का रोडमैप

जयपुर, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान के अंतर्गत स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप गांव एवं शहरों के विकास का मास्टर प्लान एवं रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मैपिंग इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तभ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान की डिजिटल मैपिंग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) से सहयोग प्राप्त करते हुए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीआईएसएजी (एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान में इस तकनीक से गांवों और शहरों की वास्तविक जरूरतों को

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीआईएसएजी (एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा की।

समझकर योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र विशेष की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए प्लानिंग बनाने में यह सहायक होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के तहत डिजिटल मैपिंग का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च से 15 मई तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायत एवं 10 हजार से अधिक शहरी वार्ड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआईएसएजी (एन) द्वारा

■ पीएम गतिशक्ति के माध्यम से विकास परियोजनाओं की हो सकेगी रीयल टाइम मॉनिटरिंग

पीएम गतिशक्ति के तहत विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी विभागों की परियोजनाओं को एकीकृत करके कार्यों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग संभव है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए परियोजनाओं में विकास से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर इसका उपयोग किया जाए।